मध्यप्रदेश विधान सभा
पत्रक भाग-दो
शुक्रवार, दिनांक 07 जुलाई, 2017 (आषाढ़ 16, 1939)

राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 – हेतु मतदान व्यवस्था

राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए मतदान सोमवार, दिनांक 17 जुलाई, 2017 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक, मध्यप्रदेश विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 (एम-02,भूतल) में होगा.

2. इस निर्वाचन में विधान सभा के निर्वाचित सदस्यगण अपना मतदान कर सकेंगे. उक्त निर्वाचन हेतु की गई व्यवस्था की दृष्टि से एवं मान. सदस्यों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपादित हो, इस हेतु मान. सदस्यों से अनुरोध है कि विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रदान किये गये फोटो परिचय पत्र अपने साथ अवश्य रखें तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर / पीठासीन अधिकारी / मतदान अधिकारी / सुरक्षा अधिकारी / सुरक्षा कर्मियों द्वारा चाहे जाने पर उसे दिखाने का कष्ट करें.

3. माननीय सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू संचालन एवं सुरक्षा की दृष्टि से उक्त दिनांक को निर्वाचक मान.सदस्यों, अधिकृत व्यक्तियों एवं निर्वाचन कार्य से संबद्ध अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का मतदान केन्द्र में प्रवेश सर्वथा वर्जित रहेगा. उक्त दिवस हेतु दीर्घा प्रवेश पत्र / सामान्य प्रवेश पत्र प्रदान नहीं किये जाएंगे. अत: सदस्यों से अनुरोध है कि निर्वाचन प्रक्रिया के निष्पादन में असुविधा न हो, इस तथ्य को देखते हुए उक्त दिनांक को वर्णित प्रवेश-पत्र की मांग न करें.

4. मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सैल्युलर फोन, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट अथवा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण आदि लेकर मतदान केन्द्र के समीप अथवा मतदान केन्द्र में प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है, अत: माननीय सदस्यगण कृपया उक्त सामग्री अपने साथ न लायें अथवा मतदान स्थल के बाहर जमा करें एवं मतदान कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें.

अवधेश प्रताप सिंह,
राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए
सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.